सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

फाल्गुन 15, शाके 1934, बुधवार, मार्च 06, 2013
Phalguna 15, Saka 1934, Wednesday, March 06, 2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.238.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) इन संशोधन नियमों के नियम 2 का खण्ड (i), नियम 3, 4, 12, 13, 14, 17 और 18 दिनांक 01.04.2013 से प्रवृत्त होंगे और इन संशोधन नियमों के समस्त अन्य नियम दिनांक 01.05.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 19 का संशोधन.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 में,–

(i) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसी विवरणी (विवरणियों) के फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ऐसी विवरणी (विवरणियों) को फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर और यदि विवरणी (विवरणियों) के फाइल करने की अंतिम तारीख के पश्चात् विवरणी (विवरणियां) फाइल की जाती है तो, ऐसी विलम्बित विवरणी (विवरणियों) के फाइल करने के पन्द्रह दिवस के भीतर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक–37 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई–चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

3. नियम 19क का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''**19क. विलम्ब फीस.–** जहां कोई व्यवहारी विहित समय के पश्चात् विवरणी देता है तो निम्नलिखित रकम की विलम्ब फीस का संदाय करेगाः–

(i) यदि व्यवहारी से अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रति मास या उसके भाग के लिए कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है तो अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए एक सौ रुपये प्रति दिन;

(ii) यदि विवरणी के अधीन की कालावधि के दौरान व्यवहारी का कोई पण्यावर्त नहीं है तो एक हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए पचास रुपये प्रति दिन; और

(iii) अन्य समस्त मामलों में पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए पचास रुपये प्रति दिन।''

4. नियम 21 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''**21. घोषणा प्ररूप.–** (1) कोई व्यवहारी,

(i) जो राज्य में अन्य व्यवहारी या व्यक्ति को किये गये माल के विक्रय पर कर के संदाय से भागतः या पूर्ण छूट का दावा करता है, वार्षिक विवरणी या, यथास्थिति, संपरीक्षा रिपोर्ट के फाइल करने की नियत तारीख तक अपने निर्धारण प्राधिकारी को सुसंगत अधिसूचना या इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित ऐसा घोषणा प्ररूप या, यथास्थिति, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;

(ii) जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अर्थान्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर उस माल के निर्यात के अनुक्रम में माल के विक्रय पर कर के संदाय से भागतः या पूर्ण छूट का दावा करता है, वार्षिक विवरणी या, यथास्थिति, संपरीक्षा रिपोर्ट के फाइल करने की नियत तारीख तक अपने निर्धारण प्राधिकारी को, निर्यातक से प्राप्त प्ररूप मूपक-15 में सम्यक् रुप से भरी गयी और हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करेगाः

परन्तु आयुक्त समाधान हो जाने पर और ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगाः

परन्तु यह और कि 30 सितम्बर, 2012 तक पूर्ण किये गये निर्धारण के लिए व्यवहारी 30 जून, 2013 तक घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) घोषणा प्ररूप मूपक-15 प्राप्त करने के लिए व्यवहारी, अपने निर्धारण प्राधिकारी को, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में इलैक्ट्रोनिक रुप से प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस यदि कोई हो, के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, व्यवहारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से घोषणा प्ररूप मूपक-15 जनित करने की अनुज्ञा देगा और ऐसी अनुज्ञा की सूचना विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से व्यवहारी को संसूचित की जायेगी।

(4) निर्धारण प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन को नामंजूर करेगा, जहां,-

(क) आवेदक व्यवहारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा (2क) के अधीन और/या धारा 7 की उप-धारा (3क) के अधीन और/या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15 के अधीन प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग करने वाले किसी आदेश की अनुपालना करने में विफल रहा है; या

(ख) आवेदक व्यवहारी को आवेदित घोषणा प्ररूपों की आवश्यकता नहीं है; या

(ग) आवेदक व्यवहारी ने उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त प्ररूपों का उचित उपयोग नहीं किया है; या

(घ) आवेदक व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन किसी बकाया मांग (मांगों) का संदाय करने में विफल रहा है; या

(ङ) आवेदक व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर कर या किसी अन्य शोध्य राशि का संदाय करने में विफल रहा है; या

(च) आवेदक व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार ठीक पूववर्ती दो वर्षों के लिए कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा है; या

(छ) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में किये गये तथ्यों और कथनों का सत्यापन नहीं किया गया है;

तथापि, किसी विशिष्ट मामले में आयुक्त या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व का हित ऐसी अपेक्षा करता है तो वह निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो युक्तियुक्त समझी जायें, उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) प्ररूप मूपक-15 में घोषणा के जनन के लिए अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित

रीति में घोषणा प्ररूप मूपक-15 के जनन के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(6) उप-नियम (5) में यथा-उपबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रणाली, उप-धारा (7) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संव्यवहार के लिए पृथक रूप से सम्यक् रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप मूपक-15 जनित करेगी।

(7) घोषणा प्ररूप मूपक-15 के इलैक्ट्रोनिक रूप से जनन के लिए उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने के पश्चात्, प्रणाली घोषणा प्ररूप मूपक-15 जनित नहीं करेगी, जहां व्यवहारी,-

(i) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन किसी बकाया मांग (मांगों) का संदाय करने में; या

(ii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन, उक्त अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर, कर या किसी अन्य शोध्य राशि का संदाय करने में; या

(iii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार ठीक पूववर्ती दो वर्षों के लिए कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में,

विफल रहा है।

व्यवहारी को उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति के पश्चात् ही घोषणा प्ररूप मूपक-15 जनित करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, किसी विशिष्ट मामले में आयुक्त या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व का हित ऐसी अपेक्षा करता है तो वह उपर्युक्त अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगा और वह निर्धारण प्राधिकारी को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह किसी व्यवहारी को, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो युक्तियुक्त समझे जायें, ऐसा प्ररूप ऐसी संख्या में जनित करना अनुज्ञात करे।

(8) जहां कोई व्यवहारी, घोषणा प्ररूप मूपक-15 के जनन के पश्चात्, यह पाता है कि उसने ऊपर वर्णित घोषणा के जनन के समय विशिष्टियां या कोई अन्य सूचना गलत भर दी हैं और उसे परिशोधित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन के साठ दिन के भीतर अपने निर्धारण प्राधिकारी को एक आवेदन, उसमें यह वर्णित करते हुए कि उसके द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियां या कोई अन्य सूचना जो गलत है, जिन्हें वह परिशोधित करना चाहता है और सही विशिष्टियां या उसके संबंध में कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन के साथ ऐसी घोषणा की मुद्रित प्रति और संव्यवहारों की विशिष्टियां, जिनके लिए घोषणा का जनन किया गया था, और यह कथन कि उसने विक्रेता व्यवहारी को सम्मिलित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसी घोषणा की मुद्रित प्रति जारी नहीं की है और राज्य खजाने को किसी हानि की दशा में वह राज्य सरकार को ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति करेगा, ऐसा वर्णित करते हुए शपथ पत्र के रूप में वचनबंध भी देगा। वचनबंध के शपथपत्र के साथ ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर निर्धारण प्राधिकारी, यह समाधान होने पर आवेदन के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा का प्रिण्ट आउट रद्द करेगा

और आवेदन को व्यवहारी के अभिलेख पर घोषणा के रद्द किये हुए प्रिण्ट आउट और क्षतिपूर्ति के वचनबंध के साथ रखेगा। निर्धारण प्राधिकारी, कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रणाली में ऐसी घोषणा रद्द करेगा।

(9) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिसने विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) का जनन किया है, सिवाय विधिपूर्ण प्रयोजन के किसी अन्य व्यक्ति को उसे सीधे ही या अन्यथा, अन्तरित नहीं करेगा।

(10) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसके द्वारा जनित घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उसकी किसी चोरी, हानि या नष्ट होने से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरकारी राजस्व की हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। यदि ऐसा कोई प्ररूप चोरी, हो जाता है, खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और ऐसी चोरी होने, खो जाने या नष्ट होने की लोक सूचना जारी करेगा और निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथानिदिष्ट ऐसी और कार्रवाई (कार्रवाइयां) करेगा।

(11) व्यवहारी, जो विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसके द्वारा जनित किसी घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) की उसकी अभिरक्षा से चोरी होने, खो जाने या नष्ट होने की रिपोर्ट करता है, से प्ररूप के किसी संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध प्ररूप मूपक-65 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, और जब सम्यक् रूप से पूर्ण किया हुआ और व्यवहारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई प्ररूप क्रेता व्यवहारी और विक्रेता व्यवहारी के बीच या विक्रेता व्यवहारी और निर्धारण प्राधिकारी के बीच अभिवहन में चोरी हो जाना, खो जाना या नष्ट हो जाना रिपोर्ट किया जाता है तो क्रेता व्यवहारी या, यथास्थिति, विक्रेता व्यवहारी से यथापूर्वोक्त एक क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(12) जहां उप-नियम (11) के अधीन कोई क्षतिपूर्ति बंधपत्र विक्रेता व्यवहारी द्वारा दिया जाना है वहां वह ऐसी रकम का होगा जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित की जाये और ऐसी कालावधि के भीतर दिया जायेगा जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(13) विक्रेता व्यवहारी को घोषणा प्ररूप प्रस्तुत करने से पूर्व क्रेता व्यवहारी या उसका कारबार प्रबन्धक या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए प्ररूप में उपबंधित स्थान में अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् क्रेता व्यवहारी प्ररूप के प्रतिपर्ण को रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भाग उसके द्वारा विक्रेता व्यवहारी को सौंप दिये जायेंगे। रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग अपने पास रखेगा और उसके द्वारा प्राप्त प्ररूप मूपक-15 का 'मूल' चिन्हित भाग माल के निर्यात के साक्ष्य के साथ अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा।

(14) किसी ऐसे घोषणा प्ररूप को न तो कोई क्रेता व्यवहारी प्रस्तुत करेगा और न कोई विक्रेता व्यवहारी स्वीकार करेगा जो,-

(i) कूटरचित या जाली है या विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित नहीं किया गया है; या

(ii) उप-नियम (10) के अधीन चोरी हो जाना, खो जाना या नष्ट हो जाना रिपोर्ट किया गया है; या

(iii) उप-नियम (8) के अधीन रद्द किया गया है।

(15) उपर्युक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.4.2011 से पूर्व की कालावधि के लिए घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) मूपक-15 ऐसी रीति में अभिप्राप्त किया जा सकेगा जो उस कालावधि में प्रवृत्त था।

5. नियम 27 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 27 के उप-नियम (1) के खण्ड (ककक) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''के भाग-ख'' हटायी जायेगी।

6. नियम 39 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**39. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(2) व्यवहारियों का वर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय ई-ग्रास के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से करेगा।

(3) राजस्थान विनिधान प्रोत्साहन स्कीम, 2010 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा किसी कस्टमाइज्ड पैकेज के अधीन संवितरित और राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संवितरित सहायिकी, यदि कोई हो, को प्ररूप मूपक-37ख में किसी चालान के माध्यम से संदेय कर के प्रति समायोजित किया जायेगा। निक्षेप की तारीख ऐसी तारीख समझी जायेगी जिसको खजाने द्वारा समायोजन किया गया है।

(4) ऊपर उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण प्राधिकारी या किसी जांच चौकी या किसी उड़नदस्ते के प्रभारी या अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को अधिनियम या नियमों या किसी अधिसूचना के अधीन संदेय कर, मांग या अन्य कोई रकम है, वहां ऐसी रकम ऐसे प्राधिकारी या प्रभारी या अधिकारी या किसी कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकेगी और निक्षेपकर्ता को प्ररूप मूपक-38 में रसीद जारी की जायेगी।

(5) ऊपर उप-नियम (1) से (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी धारा 2 के खण्ड (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल और किसी विशिष्ट जांच चौकी पर पशुधन के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए संविदाकार को कर की रकम निक्षिप्त करायेगा, जहां आयुक्त ने ऐसे संविदाकार को धारा 77 के अधीन कर संगृहीत करने के लिए अनुज्ञा दी हो, और ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ऐसे संविदाकार से प्ररूप मूपक-39 में रसीद अभिप्राप्त करेगा।

(6) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख निक्षेप की ऐसी तारीख समझी जायेगी जो ई-ग्रास में यथादर्शित है।''

7. नियम 39क का हटाया जाना.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 39क को हटाया जायेगा।

8. नियम 40 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 40 के उप-नियम (5) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक-37 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई-चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. नियम 40क का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 40क के उप–नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक–37 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई–चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 44 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 44 के खण्ड (झ) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक–37 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई–चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 45 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 45 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक–37 में चालान का भाग IV'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई–चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. नियम 69 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 69 के उप–नियम (1) के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''दस वर्ष'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सात वर्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. प्ररूप मूपक–23क का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक–23क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''प्ररूप मूपक–23क

(नियम 27(1)(क), 28(3) और 29(2) देखिए)

इलेक्ट्रोनिक प्रतिदाय के लिए आदेश

प्रेषिती,
केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिदाय आदेश सं.

1.व्यवहारी का नाम

2.रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)

3. पता
भवन सं./नाम क्षेत्र/
नगर और शहर
जिला (राज्य)

पिनकोड ई–मेल आईडी

आनुकल्पिक ई–मेल आई.डी.

दूरभाष संख्यांक (संख्याएं) फैक्स सं.

4. बैंक का ब्यौराः
4.1 बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है।

http://finance.rajasthan.gov.in

4.2 शाखा का नाम

4.3 खाता संख्या

4.4 खाते का प्रकार

4.5 शाखा का आई.एफ.एस.सी. संख्यांक

5. अनुज्ञात प्रतिदाय की रकम और उसके कारण

क. निर्धारण आदेश के अनुसार-

i कालावधि से तक

ii. आदेश की तारीख, यदि कोई हो, दिवस/मास/वर्ष

या/और

ख. सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप

i. प्राधिकारी का नाम

ii. आदेश की तारीख दिवस/मास/वर्ष

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिदाय की रकम वर्ष..... के लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर के क्रम संख्यांक ..... पर प्रविष्ट कर ली गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर, शास्ति या ब्याज जिसके लिए प्रतिदाय किया गया है, बैंक/खजाना में चालान संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करा दिया गया है और आर.सी.आर. में क्र.सं. ..... पर प्रविष्ट किया गया है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि अब प्रश्नगत राशि के संबंध मे कोई प्रतिदाय आदेश पूर्व में मंजूर नहीं किया गया है और इस प्रतिदाय के आदेश को मेरे हस्ताक्षर से कालावधि.....के लिए मैसर्स ..... की फाइल में प्रविष्ट कर लिया गया है।

कार्यालय की मुहर

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

सूचना और बैंक के समाधान के लिए मैसर्स ..... को प्रतिलिपि अग्रेषित है।

कार्यालय की मुहर

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम''

14. प्ररूप मूपक 23ख का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-23ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''प्ररूप मूपक-23ख

[नियम 27(1)(कक) देखिए]

बैंक द्वारा इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम के प्रतिदाय के लिए प्ररूप

प्रेषिती,

प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,
.....

कृपया स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित रकम, ऐसे व्यवहारी/व्यक्ति, जिसका नाम स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित है, के बैंक खाते में नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 9 से 11 में उल्लिखित बैंक के ब्यौरे के अनुसार अन्तरित करें :-

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारी का नाम	टिन	प्रतिदाय आदेश सं.	प्राधिकारी का पदनाम जिसने प्रतिदाय के लिए आदेश जारी किया है	प्रतिदाय का ब्यौरा			बैंक का ब्यौरा		
					रकम	आदेश की तारीख	प्रतिदाय की कालावधि	बैंक का नाम	खाता सं.	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (भा.वि.प्र.को.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी का नाम,
वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।

मूपक कटौती प्रतिदायों के अधीन खजाना में रकम को समायोजित करने के अनुरोध के साथ खजाना अधिकारी ..... खजाना को प्रति।

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी का नाम,
वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।

टिप्पणः इस प्ररूप को केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।''

15. प्ररूप मूपक-37 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-37 हटाया जायेगा।

16. प्ररूप मूपक-37क का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-37क हटाया जायेगा।

17. प्ररूप मूपक 37ख का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-37ख के भाग-II में क्रम संख्यांक 5 के सामने आयी निम्नलिखित विद्यमान अभिव्यक्ति को हटाया जायेगा :-

''2040- बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर
800- अन्य व्यय
(002) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
12- अनुदान/अनुदान सहायता आयोजना (योजना)''

18. प्ररूप मूपक-37ग का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-37ग हटाया जायेगा।

19. प्ररूप मूपक-45क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-45क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररूप मूपक-45क
[नियम 27 देखिए]
इलैक्ट्रोनिक रूप से किये गये प्रतिदाय का विवरण

क्र.सं.	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम	रजि. प्रमाणपत्र सं. (टिन), यदि कोई हो	प्रतिदाय आदेश सं.	आदेश की तारीख	प्रतिदाय की तारीख	प्राधिकारी का पदनाम जिसने प्रतिदाय के लिए आदेश जारी किया	मुख्य शीर्ष	उप- मुख्य शीर्ष	गौण शीर्ष	उप शीर्ष	बैंक सी.आई.एन.	रकम (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुहर"

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-104]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.239.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) इन संशोधन नियमों का नियम 2, 3, 12, 13 और 14 दिनांक 01.05.2013 से प्रवृत्त होंगे और इन संशोधन नियमों के समस्त अन्य नियम दिनांक 01.04.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6ख का प्रतिस्थापन.- केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के विद्यमान नियम 6ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**6ख. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय किसी व्यवहारी द्वारा इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे इसमें

इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(2) व्यवहारियों का वर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय ई-ग्रास के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से करेगा।

(3) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख निक्षेप की ऐसी तारीख समझी जायेगी जो ई-ग्रास में यथादर्शित है।''

3. नियम 6ग का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 6ग हटाया जायेगा।

4. नियम 17 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**17. घोषणा प्ररूप/प्रमाणपत्र.-** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन लागू दर पर कर के संदाय पर अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल क्रय करता है, प्ररूप 'ग' का प्रतिपर्ण रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भागों को विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को देगा। कर की रियायती दर का दावा करने के प्रयोजन के लिए, विक्रेता व्यवहारी उसके द्वारा प्राप्त प्ररूप 'ग' का 'मूल' चिन्हित भाग अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा और 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग को अपने पास रखेगा।

(2) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रथम विक्रय के मामले में विक्रेता व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन विहित प्ररूप 'ङ-1' जारी किया जायेगा। वह प्ररूप का प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और 'मूल' तथा 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भागों को क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को देगा। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन पश्चात्वर्ती क्रय पर कर से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए, विक्रेता व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) उसके द्वारा उस व्यवहारी से, जिससे उसने माल का क्रय किया है, प्राप्त प्ररूप 'ङ-1' का 'मूल' चिन्हित भाग;

(ख) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, जिसे उसने माल विक्रीत किया है, प्राप्त घोषणा प्ररूप 'ग' का मूल, यदि लागू हो।

(3) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा (6) की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विक्रयों की आवली में माल के हक के दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा किये गये किसी पश्चातवर्ती विक्रय की दशा में, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन विहित प्ररूप 'ङ-2' में के प्रमाणपत्र का उपयोग किया जायेगा। अंतरक प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग उस रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को देगा जिसे वह पश्चात्वर्ती विक्रय करता है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन पश्चात्वर्ती विक्रय पर कर से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए विक्रेता व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) उसके द्वारा ऐसे व्यवहारी से जिससे उसने माल क्रय किया है, प्राप्त प्ररूप 'ङ-2' का 'मूल' चिन्हित भाग; और

(ख) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसे उसने माल विक्रीत किया है, से प्राप्त घोषणा प्ररूप 'ग' की मूल प्रति, यदि लागू हो।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो राज्य के बाहर से अपने कारबार के किसी स्थान से या उसके अभिकर्ता या, यथास्थिति, स्वामी से अन्तरण द्वारा माल प्राप्त करता है, प्ररूप-'च' का प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भाग अन्तरक को देगा। अन्तरक 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग अपने पास रखेगा और कर से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए 'प्ररूप-च' का 'मूल' चिन्हित भाग माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अर्थान्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर उस माल के निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, प्ररूप 'ज' के प्रतिपर्ण को रखेगा और 'मूल' तथा 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भागों को विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को देगा। विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग को अपने पास रखेगा और उसके द्वारा प्राप्त प्ररूप 'ज' का 'मूल' चिन्हित भाग माल के निर्यात के सबूत के साथ अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसे किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित किसी इकाई की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण, विनिर्माण, व्यापार, उत्पादन, प्रसंस्करण, समंजन, मरम्मत, पुनःअनुकूलन, पुनःइंजीनियरी, पैकेजिंग के प्रयोजन के लिए या पैकिंग सामग्री या पैकिंग उपसाधनों के रूप में उपयोग के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए हो और जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी इकाई स्थापित करने या ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने, प्रचालित करने या अनुरक्षित करने के लिए, किसी दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट माल के ऐसे वर्ग या वर्गों के माल के क्रय के लिए प्राधिकृत किया गया है, प्ररूप 'झ' के प्रतिपर्ण को रखेगा और 'मूल' तथा दूसरी प्रति चिन्हित अन्य दो भागों को विक्रेता रजिस्ट्रकृत व्यवहारी को देगा। कर से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए विक्रेता व्यवहारी उसके द्वारा प्राप्त प्ररूप 'झ' का 'मूल' चिन्हित भाग अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा और 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग उसके द्वारा रखा जायेगा।

(7) (i) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास; या
(ii) संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय

के किसी ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्त्ता को किए गए किसी माल के विक्रय के संबंध में, जो किसी ऐसे कन्वेंशन या करार के अधीन, जिसका भारत एक पक्षकार है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विशेषाधिकारों का हकदार है, ने ऐसे माल का स्वयं के लिए या ऐसे मिशन, वाणिज्यिक दूतावास, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के प्रयोजनों के लिए क्रय किया है, प्ररूप 'ञ' का प्रतिपर्ण रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' चिन्हित अन्य दो भागों को विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को देगा। कर से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए, विक्रेता व्यवहारी उसके द्वारा प्राप्त प्ररूप 'ञ' का 'मूल' चिन्हित भाग अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा और 'दूसरी प्रति' चिन्हित भाग को अपने पास रखेगा।

(8) केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन यथा-विहित प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र, व्यवहारी द्वारा अपनी निर्धारण

प्राधिकारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा।

(9) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी उप-नियम (10) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस, यदि कोई हो, के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए व्यवहारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, या प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र जनित करने की अनुज्ञा देगा और ऐसी अनुज्ञा की सूचना विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से व्यवहारी को संसूचित की जायेगी।

(10) निर्धारण प्राधिकारी उप-नियम (8) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन को नामंजूर करेगा, जहां,-

(क) आवेदक व्यवहारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा (2क) के अधीन और/या धारा 7 की उप-धारा (3क) के अधीन और/या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15 के अधीन प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग करने वाले किसी आदेश की अनुपालना करने में विफल रहा है; या

(ख) आवेदक व्यवहारी को आवेदित घोषणा प्ररूपों या प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं है; या

(ग) आवेदक व्यवहारी ने उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त प्ररूपों का उचित उपयोग नहीं किया है; या

(घ) आवेदक व्यवहारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और/या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन किसी बकाया मांग (मांगों) का संदाय करने में विफल रहा है; या

(ङ) आवेदक व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर कर या किसी अन्य शोध्य राशि का संदाय करने में विफल रहा है; या

(च) आवेदक व्यवहारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और के उपबंधों के अनुसरण में ठीक पूववर्ती दो वर्षों के लिए कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा है; या

(छ) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में किये गये तथ्यों और कथनों का सत्यापन नहीं किया गया है;

तथापि, किसी विशिष्ट मामले में आयुक्त या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व का हित ऐसी अपेक्षा करता है तो वह निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो

आवश्यक समझी जायें, उप-नियम (9) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(11) प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र के जनन के लिए अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में जनन के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(12) उप-नियम (11) में यथा-उपबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में सम्यक् रूप से भरी हुई घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज में भरा हुआ प्रमाणपत्र उप-नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित किया जायेगा।

(13) प्रणाली प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र जनित नहीं करेगी, जहां व्यवहारी,-

(i) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और/या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 और/या राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन किसी बकाया मांग (मांगों) का संदाय करने में;

(ii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन, उक्त अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर कर या किसी अन्य शोध्य राशि का संदाय करने में; या

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार ठीक पूववर्ती दो वर्षों के लिए कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में,

विफल रहा है।

और उसको उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति के पश्चात् ही प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र जनित करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, किसी विशिष्ट मामले में आयुक्त या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व का हित ऐसी अपेक्षा करता है तो वह उपर्युक्त अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगा और वह निर्धारण प्राधिकारी को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह किसी व्यवहारी को, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन जो आवश्यक समझी जायें ऐसा प्ररूप ऐसी संख्या में जनित करना अनुज्ञात करे।

(14) जहां कोई व्यवहारी, प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र के जनन के पश्चात्, यह पाता है कि उसने ऊपर वर्णित घोषणा/प्रमाणपत्र के जनन के समय विशिष्टियां या कोई अन्य सूचना गलत भर दी हैं और उसे परिशोधित करने का इच्छुक है तो वह ऐसी घोषणा/प्रमाणपत्र के जनन के साठ दिन के भीतर अपने निर्धारण प्राधिकारी को एक आवेदन, उसमें यह वर्णित करते हुए कि उसके द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियां या कोई अन्य सूचना जो गलत है, जिन्हें वह परिशोधित करना चाहता है और सही विशिष्टियां या उनके संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन के साथ

ऐसी घोषणा/प्रमाणपत्र की मुद्रित प्रति और संव्यवहारों की विशिष्टियां, जिनके लिए घोषणा/प्रमाणपत्र का जनन किया गया था, और यह कथन कि उसने विक्रेता व्यवहारी को सम्मिलित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसी घोषणा/प्रमाणपत्र की मुद्रित प्रति जारी नहीं की है और राज्य खजाने को किसी हानि की दशा में वह राज्य सरकार को ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति करेगा, ऐसा वर्णित करते हुए शपथ पत्र के रूप में वचनबंध भी देगा। वचनबंध के शपथपत्र के साथ ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर निर्धारण प्राधिकारी, यह समाधान होने पर आवेदन के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा/प्रमाणपत्र का प्रिण्ट आउट रद्द करेगा और आवेदन को व्यवहारी के अभिलेख पर घोषणा/प्रमाणपत्र के रद्द किये हुए प्रिण्ट आउट और क्षतिपूर्ति के वचनबंध के साथ रखेगा। निर्धारण प्राधिकारी, कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रणाली में ऐसी घोषणा/प्रमाणपत्र रद्द करेगा।

(15) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिसने विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) का जनन किया है, सिवाय विधिपूर्ण प्रयोजन के किसी अन्य व्यक्ति को उसे सीधे ही या अन्यथा, अन्तरित नहीं करेगा।

(16) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसके द्वारा जनित घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उसकी किसी चोरी, हानि या नष्ट होने से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरकारी राजस्व की हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। यदि ऐसा कोई प्ररूप चोरी, हो जाता है, खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और ऐसी चोरी, खोने या नष्ट होने की लोक सूचना जारी करेगा और केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त नियम, 1957 के अधीन यथा-उपबंधित ऐसी और कार्रवाई (कार्रवाइयां) करेगा।

(17) विक्रेता व्यवहारी को घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व क्रेता व्यवहारी या उसका कारबार प्रबन्धक या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए प्ररूप में उपबंधित स्थान में अपने हस्ताक्षर करेगा।

(18) किसी ऐसे घोषणा प्ररूप/प्रमाणपत्र को न तो कोई क्रेता व्यवहारी प्रस्तुत करेगा और न कोई विक्रेता व्यवहारी स्वीकार करेगा जो,-

(i) कूटरचित या जाली है या विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित नहीं किया गया है; या

(ii) उप-नियम (16) के अधीन चोरी हो जाना, खो जाना या नष्ट हो जाना रिपोर्ट किया गया है; या

(iii) उप-नियम (14) के अधीन रद्द किया गया है।

(19) उपर्युक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.4.2011 से पूर्व की कालावधि के लिए प्ररूप-ग या प्ररूप-च या प्ररूप-झ में घोषणा या प्ररूप-ङ-1 या प्ररूप-ङ-2 या प्ररूप-ज में प्रमाणपत्र ऐसी रीति में अभिप्राप्त किया जा सकेगा जो उस कालावधि में प्रवृत्त था।

5. नियम 17ख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17ख हटाया जायेगा।

6. नियम 17ग का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17ग हटाया जायेगा।

7. नियम 17घ का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17घ हटाया जायेगा।

8. नियम 17ङ का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17ङ हटाया जायेगा।

9. नियम 17च का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17च हटाया जायेगा।

10. प्ररूप केविक-3 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-3 हटाया जायेगा।

11. प्ररूप केविक-4 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-4 हटाया जायेगा।

12. प्ररूप केविक-5 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-5 हटाया जायेगा।

13. प्ररूप केविक-5क का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-5क हटाया जायेगा।

14. प्ररूप केविक-5ख का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-5ख हटाया जायेगा।

15. प्ररूप केविक-9 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-9 हटाया जायेगा।

16. प्ररूप केविक-9क का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-9क हटाया जायेगा।

17. प्ररूप केविक-9ख का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-9ख हटाया जायेगा।

18. प्ररूप केविक-10 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-10 हटाया जायेगा।

19. प्ररूप केविक-13 का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप केविक-13 हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-105]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.240.– राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं.9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये 01.05.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एलटीएच-4 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई-चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 7 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**7. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय किसी होटल वाले द्वारा इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(2) होटल वाले का वर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय ई-ग्रास के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से करेगा।

(3) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख निक्षेप की ऐसी तारीख समझी जायेगी जो ई-ग्रास में यथादर्शित है।''

4. प्ररूप एलटीएच-4 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-4 हटाया जायेगा।

5. प्ररूप एलटीएच-4क का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-4क हटाया जायेगा।

6. प्ररूप एलटीएच-5 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-5 हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-106]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.241.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्.-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये 01.05.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थिापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ एक सौ रूपये का और ऐसी अतिरिक्त राशि का ई-चालान होगा जो कारबार के अतिरिक्त स्थानों को सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए पच्चीस रुपये की दर से अपेक्षित है।''

3. नियम 8 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**8. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय किसी व्यवहारी द्वारा इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(2) व्यवहारियों का वर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय ई-ग्रास के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से इलैक्ट्रोनिक रूप से करेगा।

(3) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख निक्षेप की ऐसी तारीख समझी जायेगी जो ई-ग्रास में यथादर्शित है।''

4. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-21 में चालान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ई-चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-21का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-21 हटाया जायेगा।

6. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-22 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.के.स्था.क्षे.-22 हटाया जायेगा।

7. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-25 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.के.स्था.क्षे.-25 हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-107]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.242.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में विद्यमान क्रम संख्यांक 136 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''	137.	जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवाइन, सूवा, असालिया, कथोडी	जब पाउडर या कुटे हुए या पेस्ट के रूप से अन्यथा रूप में विक्रीत किया जाये।	''

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-108]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.243.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, क्रम संख्यांक 34 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बबूल, आम या शीशम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बबूल, आम, शीशम, चन्दन, कदम्ब या केम'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-109]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.244.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ 12 (84)एफडी/टैक्स/2009-45, दिनांक 30.7.2009 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''बबूल, आम या शीशम की लकड़ी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बबूल, आम, शीशम, चन्दन, कदम्ब या केम की लकड़ी'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उक्त अधिसूचना से संलग्न घोषणा में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बबूल/आम/शीशम की लकड़ी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बबूल/आम/शीशम/चन्दन/कदम्ब/केम की लकड़ी'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-110]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.245.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में,-

(i) क्रम संख्यांक 106 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रसंस्कृत मीट, पोल्ट्री और मछली'' के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-
''प्रसंस्कृत या परिरक्षित-
(क) मीट;
(ख) पोल्ट्री; और

(ग) मछली''

(ii) क्रम संख्यांक 126 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवाइन, सूवा, अमचूर, असालिया, कथोडी और हींग को सम्मिलित करते हुए मसाले (जब अमिश्रित रूप में विक्रीत किया जाये चाहे खुला या पैकेजों में)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवाइन, सूवा, असालिया, कथोडी को छोड़कर अमचूर और हींग को सम्मिलित करते हुए मसाले (जब अमिश्रित रूप में विक्रीत किया जाये चाहे खुला या पैकेजों में)'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 126 के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 127 के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां तुरंत प्रभाव से अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

''

126क.	जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवाइन, सूवा, असालिया, कथोडी	5	जब अमिश्रित और पाउडर या कुटे हुए या पेस्ट के रूप में विक्रीत किया जाये।

''

(iv) क्रम संख्यांक 155 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रेल, 2006 से जोड़ा हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

''**स्पष्टीकरणः** हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर (अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी) में व्हील लोडिंग शोवल को सम्मिलित करते हुए हैवी लोडर्स सम्मिलित है।''

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 200 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां तुरंत प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''

201	स्टेनलेस स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर रॉड	5	

''

2. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 के भाग-क में,

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''कम्प्यूटर प्रणाली और पैरीफैरल, मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज और इलैक्ट्रोनिक डायरियों को छोड़कर कम्प्यूटर प्रिण्टर्स'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कम्प्यूटर प्रणाली और पैरीफैरल, वायर्ड और वायरलैस स्विच को सम्मिलित करते हुए एलएएन और डब्ल्यूएएन के लिए नेटवर्किंग मर्दे, राउटर, मोडेम, वेबकेम्प्स, आईपी सर्वीलेन्स प्रणाली, मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज और इलैक्ट्रोनिक डायरियों को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर प्रिण्टर्स'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 24 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आप्टीकल फाइबर केबल और जोइनिंग किट्स और उसकी जोइनिंग सामग्री'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आप्टीकल फाइबर केबल और विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग केबल्स यथा फ्लेट केबल्स, सीएटी 3 केबल्स, सीएटी 5 केबल्स, सीएटी 6 केबल्स और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर (यूटीपी) केबल्स, जोइनिंग किट्स और उसकी जोइनिंग सामग्री'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 26क के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ओटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ओटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम), डिपोजिट फंक्शन या डिपोजिट मशीन सहित या उसके बिना कैश डिस्पेंसर मशीन (सीडीएम)'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) क्रम संख्यांक 28 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''उपर्युक्त 1 से 27 तक के भागों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उपर्युक्त 1 से 27 तक के भागों और उपसाधनों (कवर या कैरिंग कैसेज से भिन्न)'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-111]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.246.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में,-

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''50'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''65'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''50'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''65'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-112]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.247.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है,

इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में दी गयी सूची में, स्तम्भ संख्यांक 2 में मद संख्यांक 2 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति ''संनिर्माण से संबंधित संकर्म संविदा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''संनिर्माण या मरम्मत से संबंधित संकर्म संविदा'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-113]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.248.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले किसी शहर या नगर या गांव में अवस्थित धर्मशाला, मैरिज गार्डन और सामुदायिक केन्द्रों में किसी होटल वाले द्वारा उपलब्ध करवाये गये विलासों पर संदेय कर के संदाय से, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से छूट देती है।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-114]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.249.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा यह आदेश देती है कि किसी भी स्थावर संपत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (किसी भी रीति में चाहे जो कोई हो) के लिए किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन और अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङङ) के अधीन मुख्त्यारनामा

की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-115]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.250.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-154, दिनांक 09.3.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा यह आदेश देती है कि,-

(i) पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा;

(ii) पत्नी या पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर या एक लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा; और

(iii) विधवा के पक्ष में,-
(क) उसके मृत पति की माता, पिता, भाई या बहिन; या
(ख) स्वयं की माता, पिता, भाई, बहिन या पुत्र या पुत्री

के द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट दी जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-116]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.251.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर

कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भूमि के समस्त वर्गों पर संदेय भूमि कर से, दिनांक 01.04.2013 से, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-117]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

एस.ओ.252.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम सं. 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी की गयी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की दर और उन खनिजों, जिनके संबंध में उपकर दिनांक 01.04.2013 से निम्नलिखित रूप में उद्‌गृहीत किया जायेगा, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र.सं.	खनिज	खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की दर (प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन पर) (रु.)
1.	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन	10/-
2.	एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन	50/-
3.	जिप्सम	10/-
4.	रॉक फास्फेट	1000/-
5.	रॉक फास्फेट, जिसमें पी$_2$ओ$_5$ 22 प्रतिशत से कम हो	50/-
6.	वोलास्टोनाइट	60/-
7.	लैड एण्ड जिंक	150/-
8.	कॉपर	150/-

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-118]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

एस.ओ.253.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/

09/पार्ट-II-2, दिनांक 09.03.2011 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''दो वर्ष'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीन वर्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

एस.ओ.254.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 8 तक की सीट क्षमता वाले गैर-अस्थायी परमिटों पर चलाये जाने वाले और मोटर चालन स्कूल के नाम से रजिस्ट्रीकृत और मोटर चालन प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले चौपहिया मोटर यानों को, उक्त अधिनियम की धारा 4ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

एस.ओ.255.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 01.04.2013 को और उसके पश्चात् क्रय किये गये और 31.03.2014 तक रजिस्ट्रीकृत और ग्रामीण मार्गों तथा अन्य मार्गों (राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के उपबंधों के अधीन यथा-वर्गीकृत) पर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

एस.ओ.256.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(257)परि/टैक्स/एचक्यू/11/6-क्यू, दिनांक 14.11.2011 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की ''सारणी'' के नीचे आये परन्तुक (V) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक मोटर यान के लिए रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक चलाये जाने वाले एक मोटर यान के लिए प्रतिमास रुपये 12500/- (बारह हजार पांच सौ) और प्रतिदिन 300 किलोमीटर से अधिक चलाये जाने वाले एक मोटर यान के लिए प्रतिमास रुपये 25000/- (पच्चीस हजार)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

एस.ओ.257.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11के, दिनांक 31.3.06 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के नीचे आये विद्यमान परन्तुक (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''(7) सारणी के खण्ड 2 के उप-खण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) के अधीन आने वाले और रणथम्भौर नेशनल पार्क, सवाईमाधोपुर की सीमाओं के भीतर पर्यटन प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर यानों के लिए, विशेष सड़क कर, सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित दर के 75 प्रतिशत की दर पर संदेय होगा।''

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव